

प्रेषक,

सन्तोष कुमार सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, 32,
स्टेशन रोड, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,
उत्तर प्रदेश।
6. निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन
लि0, 22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु
निगम लि0, 17, गोखले मार्ग, लखनऊ।
9. अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण
निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 को-ऑपरेटिव यूनियन लि0,
(पी0सी0यू0), लखनऊ।
11. शाखा प्रबन्धक,
एन0सी0सी0एफ0, लखनऊ।
12. शाखा प्रबन्धक,
नैफेड, अलीगंज, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2018

विषय:- खरीद विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु समय-सारिणी।
महोदय,

खरीद विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान की खरीद दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ की जायेगी। प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान की खरीद हेतु संलग्न समय-सारिणी इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि नियत तिथियों के अनुसार प्रत्येक जनपद में धान खरीद हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाये और गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर धान क्रय केन्द्रों का चयन 30 अगस्त, 2018 तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।

2- धान क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, बोरों, स्टाफ तथा कृषकों के लिए सुविधायें आदि धान क्रय हेतु समस्त पूर्व व्यवस्थायें पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में दिनांक 15 सितम्बर, 2018 तक तथा पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में दिनांक 15 अक्टूबर 2018 तक अवश्य पूर्ण करा ली जायें।

3- आगामी सत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने, मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने तथा बिचौलियों के माध्यम से धान की खरीद को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें तथा बिचौलियों से साँठ-गाँठ करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पूर्व ही चिन्हित कर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4- चावल मिलों की कुटाई क्षमता एवं विगत वर्षों में मिल द्वारा किये गये कुटाई कार्य का समुचित आँकलन करते हुए खरीदे जाने वाले धान की कुटाई हेतु सम्बद्धीकरण की कार्य-योजना पश्चिमी उ0प्र0 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जनपदों में दिनांक 15 सितम्बर, 2018 तक तथा पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में दिनांक 15 अक्टूबर 2018 तक पूर्ण कर ली जाये।

5- यदि किसी सम्भाग में स्थित मिलों की कुटाई क्षमता से अधिक धान खरीद अनुमानित है तथा सम्भाग के बाहर कुटाई किया जाना प्रस्तावित है तो वह इस सम्बन्ध में खाद्यायुक्त को प्रस्ताव प्रेषित कर पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे तथा समीपस्थ सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक से समन्वय कर धान की कुटाई के लिए समुचित प्रबन्ध एवं कार्य-योजना बनायेंगे।

6- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों के हित के लिए धान खरीद योजना का लाभ इस पर निर्भर है कि कृषकों से क्रय किये गये धान का भुगतान उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाये, कृषकों को त्वरित मूल्य भुगतान हेतु क्रय संस्थाओं को अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। तथापि स्थानीय स्तर पर तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराने पर बल दिया जाये तथा मूल्य भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए मूल्य भुगतान की नियमित समीक्षा की जाये।

7- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु खोले जाने वाले क्रय केन्द्रों का स्थल निर्धारण, क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित कर लिये जायें।

8- ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता दिनांक 15 सितम्बर, 2018 तक तथा ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में दिनांक 20 सितम्बर, 2018 तक तथा पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में दिनांक 20 अक्टूबर 2018 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

9- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)

संयुक्त सचिव।

संख्या: -01/2018/799(1)/29-4-2018, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (अनुश्रवण हेतु)।
- 6- निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
- 8- तकनीकी सहायक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- खाद्य तथा रसद अनुभाग-3/5

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)

संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-01/2018/799/29-4-2018-5(5)/17, दिनांक 19 जून, 2018 का संलग्नक-1

क्र0	अपेक्षित कार्य	अनुमानित अवधि	अधिकारी/विभाग जिसे कार्यवाही करनी है।
1	2	3	5
1	प्रभारी अधिकारी, धान खरीद की नियुक्ति	01 जुलाई से 15 जुलाई 2018 तक	जिलाधिकारी
2	धान उत्पादन का सर्वेक्षण व आंकलन	15 अगस्त, 2018 तक	कृषि विभाग/ जिलाधिकारी
3	मण्डी यार्ड जहाँ व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न खरीद व बिक्री का कारोबार नहीं स्थानान्तरित किया गया है, को स्थानान्तरित करना।	01 जुलाई से 30 अगस्त, 2018 तक	निदेशक मण्डी परिषद व जिलाधिकारी
4	पंजीयन व क्रय का प्रचार-प्रसार (क)समाचार-पत्रों/रेडियो/टेलीविजन। (ख) उपर्युक्त स्थानों, मण्डी यार्ड आदि में फ्लैक्सी बैनर आदि का प्रदर्शन।	15 जुलाई से सतत्	मण्डी/सूचना विभाग
5	किसानों का नवीन पंजीयन/पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण- (खाता नं0 अंकित खतौनी/पहचान प्रमाण-पत्र आधार कार्ड एवं खसरा के आधार पर) कृषक द्वारा जमीन में अपना हिस्सा तथा उसमें बोये धान की घोषणा की जायेगी। कृषक द्वारा स्वयं/जनसूचना केन्द्र, इन्टरनेट कैफे के द्वारा	15 जुलाई से 30 अगस्त, 2018 तक	जिलाधिकारी/सं0खा0नि0/ क्रय एजेन्सी
6	तहसीलों में किसानों का सत्यापन (कृषक की भूमि एवं धान के बोये गये रकबे का सत्यापन), राजस्व माँड्यूल	01 अगस्त से 15 सितम्बर, 2018 तक	संबंधित उपजिलाधिकारी
7	ई-उपार्जन से सम्बन्धित माँड्यूल- किसान के गाटा संख्या का राजस्व विभाग की भू-लेख संबंधी वेबसाइट से लिंकेज क्रय केन्द्र/बैंक/निरीक्षण माँड्यूल को तैयार करना/विभागीय पोर्टल पर टेस्ट रन	01 अगस्त से 15 अगस्त, 2018 तक	एन0आई0सी0/खाद्य विभाग
8	डिपो माँड्यूल	01 अगस्त से 15 अगस्त, 2018 तक	भारतीय खाद्य निगम/ एन0आई0सी0/ मुख्यालय
9	मिलों का पंजीयन	01 अगस्त से 30 अगस्त, 2018 तक	जिलाधिकारी/सं0खा0नि0
10	क्रय संस्थाओं से क्रय केन्द्रों का प्रस्ताव प्रेषण	01 अगस्त से 15 अगस्त, 2018 तक	क्रय एजेन्सी
11	क्रय केन्द्रों का चयन/स्वीकृति	15 अगस्त से 30 अगस्त, 2018 तक	जिलाधिकारी
12	भा0खा0नि0 द्वारा परिवहन दरों का निर्धारण तथा जिलाधिकारी को संसूचित करना	15 अगस्त से 25 अगस्त, 2018 तक	भा0खा0नि0
13	जिलाधिकारी द्वारा परिवहन दरों का निर्धारण	15 सितम्बर, 2018 तक	जिलाधिकारी
14	ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर	15 सितम्बर, 2018 तक	सम्बन्धित क्रय एजेन्सी

	कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता		
15	<p>क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थायें (क्रय एजेन्सी द्वारा)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • धन का आंकलन व उपलब्धता • बोरे की उपलब्धता एवं सत्यापन (क) नये बोरो की उपलब्धता (ख) उपयोगी बोरो की उपलब्धता • स्टाफ की तैनाती • हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों की ई-टेंडरिंग द्वारा नियुक्ति 	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2018 तक • पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2018 तक 	क्रय एजेन्सी/सं0खा0 नि0/भा0खा0नि0
16	<p>क्रय केन्द्रों की व्यवस्थायें (मण्डी द्वारा)-</p> <ul style="list-style-type: none"> • कृषकों की सुख-सुविधा की व्यवस्था • इलेक्ट्रॉनिक कांटा, छन्ना, नमी मापक यंत्र आदि की व्यवस्था (पावर ड्रायर/डस्टर/जनरेटर) • बैनर की व्यवस्था, प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण 	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2018 तक • पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2018 तक 	क्रय एजेन्सी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/मण्डी समिति/बांट माप विभाग
17	चावल मिलों से सम्बन्धीकरण/अनुबन्ध निष्पादन/बैंक गारण्टी इत्यादि	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2018 तक • पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2018 तक 	क्रय एजेन्सी/जि0खा0वि0अ0/जिलाधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक
18	जनपद हेतु निर्धारित क्रय लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 भण्डारण का डिपोवार भण्डारण प्लान	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2018 तक • पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2018 तक 	सं0खा0नि0/भारतीय खाद्य निगम/जिलाधिकारी
19	कांटा बाँट का सत्यापन, रिपेयरिंग व खराब होने की स्थिति में ठीक करने हेतु मैकेनिक का नामांकन	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2018 तक • पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2018 तक 	क्रय एजेन्सी/बाँट माप विभाग
20	ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 20 सितम्बर, 2018 तक • पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 20 अक्टूबर, 2018 तक 	क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय व मण्डल स्तरीय अधिकारी
21	मण्डी यार्डों में क्रय केन्द्रों हेतु चबूतरों का आवंटन	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 20 सितम्बर, 2018 तक • पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 20 अक्टूबर, 2018 तक 	मण्डी समिति/जिलाधिकारी
22	मण्डी समिति द्वारा प्रभावी नीलामी हेतु नीलामी, मण्डीयार्डवार नीलामी कर्ता का नामांकन	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 24 सितम्बर, 2018 तक • पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 24 अक्टूबर, 2018 तक 	मण्डी समिति/जिलाधिकारी
23	क्रय केन्द्र प्रभारियों की धान क्रय आदि से सम्बन्धित ट्रेनिंग/कार्यशाला	(I) 20 सितम्बर से 24 सितम्बर, 2018 तक (पश्चिमी 30प्र0) (II) 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर,	जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी, जि0खा0वि0अ0, सं0ले0अ0, बांट माप

		2018 (जहाँ 01 नवम्बर, 2018 से खरीद पूर्वी 30प्र0)	अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहायक श्रमायुक्त, सं0खा0नि0, क्रय एजेन्सी, मण्डी सचिव, भा0खा0नि0, एन0आई0सी0
24	चावल मिलों का संग्रह डिपो से सम्बद्धीकरण	<ul style="list-style-type: none"> पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 20 सितम्बर, 2018 तक पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 20 अक्टूबर, 2018 तक 	क्षेत्र प्रबन्धक, भा0खा0नि0/ सं0खा0नि0
25	क्रय केन्द्रों का क्रियान्वयन व भौतिक रूप से क्रियाशीलता	<ul style="list-style-type: none"> पश्चिमी 30प्र0 के जनपदों में 24 सितम्बर, 2018 तक पूर्वी 30प्र0 के जनपदों में 31 अक्टूबर, 2018 तक 	क्रय एजेन्सी/ जिलाधिकारी

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव।

<http://shasanavadesh.up.nic.in>